न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 76 / रा.भू–रा.अधि. / 19 / 2017 / जैसलमेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
स्व हरदासराम पुत्र श्री खेताराम के कायम मुकाम :–	बनाम	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जैसलमेर।

1. बाबूराम पुत्र श्री हरदासराम भील निवासी मूलसागर तहसील व जिला जैसलमेर।
2. श्रीमती गोमती पुत्री श्री हरदासराम पत्नी प्रागाराम निवासी मोहनगढ तहसील व जिला जैसलमेर
3. श्रीमती गंगा पुत्री श्री हरदासराम पत्नी भूराराम हाल निवासी जैरात तहसील व जिला जैसलमेर।
4. श्रीधाई पुत्री श्री हरदासराम पत्नी श्रवणराम हाल निवासी गफूर भट्टा, तहसील व जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर के राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 15 / 2014 बअनवान राज. सरकार बनाम हरदासराम के कायम मुकाम में पारित निर्णय दिनांक 28.07.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री टीकूराम गर्ग अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट की ओर से

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– 17.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने दिनांक 17.04.2012 को श्रीमान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर के यहां वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि वादीगण के स्व. पिता हरदासराम पुत्र श्री खेताराम जाति भील निवासी मूलसागर तहसील व जिला जैसलमेर के भूमिहीन व गरीब किसान कमजोर वर्ग का अनुसूचित जनजाति का भील होने से उसे आवंटन सलाहकार समिति जैसलमेर के सभी सदस्यों की राय से उसके प्रार्थना पत्र दिनांक 19.11.1970 जिसमें खालसा अखड व परत भूमि वाके ग्राम मूलसागर से आधा मील दक्षिण ग्राम मूलसागर पटवार जैसलमेर जिसके उतर में गांव मूलसागर, दक्षिण में मगरा उगन में खड़ीन धोरा, बंद ब्राहम्णों का, आथून में गांव माणपिया, पेश करने पर उसके आधारों पर जांच कर यह निर्णय लिया था कि उसे गांव मूलसागर तहसील व जिला जैसलमेर में

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सलाहकार समिति की पालना मे श्रीमान उपजिलाधीश जैसलमेर द्वारा एक आदेश जारी कर वादीगण के पिता स्व. हरदासराम को दिनांक 21.11.1970 को कैंप जैसलमेर में हुई भूमि आंवटन सहाहकार समिति में लिये गये निर्णय अनुसार लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 की धारा 101 के अधीन जिसमें पटवारी हल्का जैसलमेर में दिनांक 21.11.1970 को यह रिपोर्ट की गई की प्रार्थी भूमिहीन है, उसको आवंटित की जाने वाली भूमि ग्राम मूलसागर सिवायचक खसरा संख्या 15 में रकबा 19942.05 बीघा किस्म बाजरिया मौके पर मौजूद है। तत्पश्चात आवंटन सहालकार समिति की राय एवं उपजिलाधीश के आवंटन आदेश के अनुसार दिनांक 27.12.1970 को भाखरसिंह पटवारी जैसलमेर द्वारा मौजा मूलसागर में स्व. हरदास पुत्र खेता भील को मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया। राज्य सरकार ने भी गरीब, कमजोर, अनुसूचित जन जाति भीलों के परिवारों को गरीबी से मुक्ति देने का संबल दिया था परंतु प्रशासन के द्वारा आवंटित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया। यह राज्य सरकार की गरीबी उन्मूलन कार्य के विपरीत ही नहीं बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत भी है। और यह दृष्टिकोण गरीबों के हित में न्यायोचित नहीं है। तत्पश्चात श्रीमान तहसीलदार जैसलमेर द्वारा न्यायालय श्रीमान अति. जिला कलक्टर जैसलमेर के यहां प्रार्थना–पत्र अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व, कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 14(4) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी के पिता स्व. हरदासराम पुत्र श्री खेताराम को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के आदेश क्रमांक 2898 दिनांक 10.12.1970 के द्वारा ग्राम मूलसागर के खसरा संख्या 15 में आंवटित रकबा 25 बीघा भूमि का किया गया आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त तहसीलदार द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र का जबाव दिनांक 29.06.2015 का दिया गया। आवंटी अपने जीवनकाल तक उक्त आवंटन एवं कब्जा सुपुर्द भूमि पर काबिज काश्त रहा है। उसके निधन के बाद उसके विधिक वारिस अप्रार्थीगण/अपीलांट लगातार काबिज काश्त है। उक्त नियमों के नियम 14(4) में यह स्पष्ट प्रावधित है कि भूमि आवंटन तभी निरस्त किया जा सकता है यदि आवंटन कपट अथवा मिथ्या, व्यपदेशन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्ध किया गया हो या आवंटी के आवंटन की किसी शर्त को भंग किया हो। प्रस्तुत प्रकरण में आवंटन निरस्ती हेतु प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा इनमें से ऐसा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय प्राकृतिक सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि की मंशा के विपरित है जो काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि तहसीलदार द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र का जबाव दिनांक 29.06.2015 का दिया गया। आवंटी अपने जीवनकाल तक उक्त आवंटन एवं कब्जा सुपुर्द भूमि पर काबिज काश्त रहा है। उसके निधन के बाद उसके विधिक वारिस अप्रार्थीगण/अपीलांट लगातार काबिज काश्त है। उक्त नियमों के नियम 14(4) में यह स्पष्ट प्रावधित है कि भूमि आवंटन तभी निरस्त किया जा सकता है यदि आवंटन कपट अथवा मिथ्या, व्यपदेशन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्ध किया गया हो या आवंटी के आवंटन की किसी शर्त को भंग किया हो। प्रस्तुत प्रकरण में आवंटन निरस्ती हेतु प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा इनमें से ऐसा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय प्राकृतिक सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि की मंशा के विपरित है अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेंट की ओर राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि हस्तगत प्रकरण में वर्ष 1970 में हुए आवंटन से लेकर उसके पश्चात मूल आवंटी अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य का न तो कभी उक्त भूमि पर कब्जा रहा न कभी काश्त की गई। न ही मूल आवंटी उसके परिवार के सदस्यों के पास ऐसे कोई कागजात या राजस्व रेकर्ड दस्तावेज नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि मूल आवंटी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य ने इस भूमि पर कभी काश्त की हो या उक्त भूमि कभी उनके कब्जे इत्यादि में रही हो। या कभी भी किसी भी प्रकार से इस भूमि का कोई उपयोग किया हो। आवंटी का उन्हें आवंटित भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त न होने से भू–प्रबंध विभाग द्वारा उक्त भूमि सिवायक दर्ज कर दी गई। आवंटी अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा आवंटन निरस्त किया जाना ही उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलांटगण के पिता/पति हरदानराम भील को ग्राम मूलसागर के खसरा संख्या 15 में 25 बीघा बाजरिया भूमि का आवंटन दिनांक 21.11.1970 को हुआ जिसका कब्जा दिनांक 27.12.1970 को पटवारी जैसलमेर द्वारा कब्जा रिपोर्ट में अंकित हदूदों के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अनुसार सुपुर्द किया गया परन्तु बाबजूद नामान्तरण स्वीकृति राजस्व अधिकारियों ने इसका अंकन रिकॉर्ड में नहीं किया। तहसीलदार जैसलमेर द्वारा इस बाबत एक आवेदन अंतर्गत नियम 14(4) इस आवंटन को निरस्त करने हेतु पेश किया जिस पर अपीलाधीन निर्णय पारित हुआ। अपीलांटगण द्वारा इस आवंटन के आधार पर मूलसागर के वर्तमान खसरा संख्या 56 में इस भूमि हेतु दावा किया है। राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक इस भूमि की **किस्म गैर मुमकिन मगरा दर्ज है।** इस भूमि पर भी अपीलांट का अतिक्रमण रूप में प्रतिकूल कब्जा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार संवत 2072 में 10 बीघा पर है। **इससे पूर्व इस पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त होना प्रमाणित नहीं है।** अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन 14(4) के बारे में उभयपक्ष की साक्ष्य एवं दलीलों के आधार पर विस्तृत विवेचना करके अपीलाधीन निर्णय दिया गया है जिससे अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी पर आवंटन की शर्तों का उल्लंघन होने एवं अनवरत काब्जा काश्त सिद्ध नहीं हो पाने के कारण आवंटन निरस्त किया गया है। **अपीलांट द्वारा दावाकृत भूमि गैर मुमकिन मगरा किस्म की होने से इस पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं हो सकते।** इसके आलावा वादग्रस्त भूमि वाला राजस्व ग्राम **वर्तमान में नगर विकास न्यास क्षेत्र में सम्मिलित किया जा चुका है।** अतः उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने लायक नहीं ठहरती।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर द्वारा राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 15/2014 बअनवान राज. सरकार बनाम हरदासराम के कायम मुकाम में पारित निर्णय दिनांक 28.07.2017 को यथावत रखा जाता है।

17/5/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान चारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 17.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/5/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner